न्यायालय— जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश— तृतीय, सिवान
<u>उपस्थितः— उमेश मणि त्रिपाठी</u>
<u>A.B.P. No.- 1160/2026</u>
मुमताज अहमद एवं अन्य बनाम बिहार सरकार
[बड़हरिया थाना काण्ड संख्या— 171/2026]

<u>आदेश</u>

10.08.2026 आवेदकगण/अभियुक्तगण **मुमताज अहमद एवं रौनक खातून** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन संख्या— 1160/2026, बड़हरिया थाना काण्ड संख्या—171/2026, अंतर्गत धारा—126(2), 115(2), 329(3), 74, 75(2), 351(3), 352/3(5) भारतीय न्याय संहिता में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

सुनवाई के क्रम में विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह द्वारा निवेदन किया गया कि आवेदकगण की ओर से लगातार कई तिथियों से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

वाद पुकार हुआ। पुकार पर आवेदकगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि विगत कई तिथि से आवेदकगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है जिससे विदित होता है कि आवेदकगण को इस वाद में कोई रूचि नहीं है। अतः दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 02.05.2026 को प्रचालित नहीं किए जाने के कारण **<u>खारिज</u>** किया जाता है।

लेखापित

ह0/—
(उमेश मणि त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, सिवान।
दिनांक 10.08.2026

Date of Order/Judgment	10.08.2026
Date of Reserving Order/Judgment	10.08.2026
Uploading Date	12.08.2026
Uploaded By	RAVI KANT